नम्बर व
अहकाम ज
की तामी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/461/2015

वउनवान

1. मु0भौती पत्नी रतनलाल जाति मीना निवासी गुण्डवास
   तहसील कठूमर

——— सायला

बनाम

1. बबलू पुत्र हरेत जाति मीना निवासी गुण्डवास
2. समयसिंह पुत्र काडू जाति मीना निवासी गुण्डवास
3. ज्ञानसिंह पुत्र काडू जाति मीना निवासी गुण्डवास
4. दिनेश पुत्र मिश्रू जाति मीना निवासी गुण्डवास
5. कैलाश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी गुण्डवास
   तहसील कठूमर

——— गैरसायल

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री महेन्द्रसिंह कपासिया एडवोकेट : वकील सायल

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेटः वकील गैरसायलान

आदेश दिनांक 15.03.2018

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 511 रकवा 0.10 हे. ग्राम गुण्डवास तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी सायला की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी पर सायला काविज रहकर काश्त करती है। विवादित आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान जबर्दस्त व ताकतवर व्यक्ति है जो जवरन व ताकत के वल पर विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है तथा सायला को

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विवादित आराजी से वेदखल करना चाहते है। सायला महिला है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है। जवकि गैरसायल को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायला को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में सावित है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 511वाके ग्राम गुण्डवास तहसील कठूमर में सायला के काश्तकारी कार्य करने में किसी किस्म की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने वावत गैरसायलान को पाबन्द कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र सायला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 3 बाबजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 04.02.2016 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल संख्या 1, 2, 4, 5 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी से हम गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना ही हम गैरसायलान सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। सायला झगडालू किस्म की महिला है। जो खसरा नम्बर 511 पर काविज है। लेकिन सायला व इसके परिवार वाले खसरा नम्बर 511 की आड में गै0मु0 खसरा नम्बर 513 पर जवरन कब्जा करना चाहते है तथा रास्ता की भूमि पर कब्जा कर रास्ता रोकना चाहती है जिसके लिये सायला ने रास्ता की भूमि में छप्पर डालकर वो दीवार बनाकर व देवताओं के थान आदि बनाकर रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है। जिस अतिक्रमण वावत उप तहसीलदार भनोखर ने भी रास्ते की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने वावत धारा 91 एल आर एक्ट का नोटिस भी दिया जा चुका है व सायला व उसके पति को वेदखल किया जा चुका है तथा ग्राम पंचायत सहाडी द्वारा रास्ता की भूमि में पक्की दीवार खडी करने वावत दीवार को तोडने के आदेश दिये जा चुके है। रास्ता की पैमाइस करने का अधिकार उप तहसीदार भनोखर को है। जिसको सायला किसी भी प्रमकार से पैमाइस करने से नहीं रोक सकती सायला ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

... समय लगेगा, इसलिए यह दर0 पेश की जा
रही है जिसे दावा कमिश्नों के साथ पढ़ा जावे।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 ग्राम गुण्डवास की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।विद्वान अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया आराजी खसरा नम्बर 511 रकवा 0.10 हे. ग्राम गुण्डवास तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी सायला की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी पर सायला काविज रहकर काश्त करती है। विवादित आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान जबर्दस्त व ताकतवर व्यक्ति है जो जवरन व ताकत के वल पर विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है तथा सायला को विवादित आराजी से वेदखल करना चाहते है। सायला ने खसरा नम्बर 513 की कोई रिलीफ नहीं चाही है। खसरा नम्बर 513 से अतिक्रमण हटा दिया गया है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल को पाबन्द किया जावे। सायला ने अपनी वहस के दौरान नकल फैसला दिनांक 07.12.2015 आर्डर 39 नियम 7 जा0दी0 नकल पैमाइस रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 21.06.2016 मय नक्शा मौका, नकल आदेश जिला कलेक्ट्रर साहव अलवर दिनांक 13.04.2016 मौका कमिश्नर रिपोर्ट श्री मानसिंह चौधरी एडवोकेट न्यायालय सिविल जज साहव कठूमर दिनांक 29.11. 2015 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अधिवक्ता सायला के तथ्यों का विरोध करते हुये अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्रों को दोहराते हुये कथन किया कि नम्बर 511 के पास खसरा नम्बर 513 गै0मु0 रास्ता है उस पर सायला के पति ने पक्की दीवार खडी कर दी व रास्ता बन्द कर दिया। सिवविली कोर्ट में दावा कर दिया। सिविल कोर्ट ने भी खसरा नम्बर 513 के अतिक्रमण भाग को छोड कर स्टे दिया है। प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही चल रही है। खसरा नम्बर 511 की नाप तोल नहीं करे। पैमाइस नहीं करे। मौका की यथास्थिति बनाये रखें। खसरा नम्बर 513 पर अतिक्रमण बरकरार नहीं रहे। तमाम तथ्य गलत है। अतः प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible](अलवर)

इसलिए यह दर0 पेश की जा

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न जवाव दर0 राजस्व रेकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 511 रकवा 0.10 हे. सायला की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसको गैरसायलान ने स्वीकार किया है। खसरा नम्बर 511 रकवा 0.10 हे. के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावा स्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया सायला के पक्ष में सावित है। सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का विन्दु भी सायला के पक्ष में प्रवल है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीयान को पावन्द किया जाता हे कि दावे के अंतिम निस्तारण तक सायला की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 511 रकवा 0.10 हे. वाके ग्राम गुण्डवास तहसीली कठूमर पर सायला के कब्जे काश्त में दखलनदाजी, मजाहमत निर्माण नहीं करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। खसरा नम्बर 513 गै0मु0 रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने, खसरा नम्बर 511, 513 अथवा आस पास के अन्य खसरा नम्बरान की नियमानुसार पैमाइस, नाप जोख करनेके लिये तहसीलदार कठूमर स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 15.03.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर